कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–।५३।/14–1 , (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, ०७।०५। 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
मुरादाबाद।

विषय:– विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0–51) के चौड़ीकरण हेतु (1) सम्भल में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/10/2016/एफ0सी0/545 दि0 09–03–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 09–03–2017 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछपीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (63.20X 2= 126.40 है0) अर्थात् 126.40 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (सम्भल वन प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 77.60 है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि रू0– 1,53,63,000/–) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (क) प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि (सम्भल वन प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रू0– 24288800/–) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा, वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृती पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं

4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का,वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6– राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमो का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में चौडीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद सम्भल में बाधक वृक्षो के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृती भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0)
1	सम्भल	6919

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 6919 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)* रू0 69190/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के नाम देय हो प्रस्तुत करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा, वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत बाधक वृक्षों के छपान हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/part-v/1227 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृती जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक 1431 / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2– प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम्र में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4– क्षेत्रीय वनाधिकारी, चन्दौसी/गुन्नौर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
पत्रांक 3141 /14–1,दिनांक,अमरोहा,अप्रैल, 19 2017,

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।

विषय :– विश्व बैंक पोषित बदायू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस.एच–51) के चौडीकरण हेतु (1) सम्भल में किमी0 58.500 से 107.00 तक 38.80 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.00 से 137.500 तक 24.40 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों प्रभागों के समेकित प्रस्ताव के कुल 63.2 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/10/2016/एफ0सी0/545 दिनांक 09.3.2017, तथा इस कार्यालय का पत्र संख्या 2094/22–1, दिनांक 30.03.2017,

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 5 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात (24.4x2=48.800) अर्थात 49.00 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **(अमरोहा वन प्रभाग की दुगने अवनत वनभूति अर्थात 49.00 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि रू0 83,30,000/–)**(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये, आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि (**अमरोहा वन प्रभाग की एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 15274400)** ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

   (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वन बद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing)भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्दता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध हो तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अमरोहा में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्ष 4160 का छपान किये जाने हेतु 10/रू0 प्रति वृक्ष की दर से रू0 41600/– का बैंक ड्राफट जोकि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा के नाम से देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्र– II/Fc/Roc/95-2011/Part-v/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी, जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते है। कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें, ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0यू0खान)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक 3141 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी हसनपुर ।

(एम0यू0खान)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।